न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4957/2005/भीलवाड़ा

1– मु0 लाली बेवा प्यारचन्द जाति खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

----- अपीलकर्ता

बनाम

1– श्री परथु पुत्र करमा भील निवासी गंगापुर (मृतक के बजाय)

1/1. श्रीमती हांसी, बेवा

1/2. श्री जोधा, पुत्र

1/3. मु0 बरदी, पुत्री

2– श्री खेमा पुत्र करमा भील (मृतक के बजाय)

2/1. मु0 रामी बेवा खेमा निवासी गंगापुर,

2/2. श्री सोहन, पुत्र

2/3. मु0 जैती पुत्री

2/4. मु0 मांगी पुत्री

3– श्री हजारी पुत्र करमा भील निवासी गंगापुर।

4– अब्दुल शकूर खां पुत्र अब्दुल गफार खां मुसलमान मौलवी निवासी गंगापुर।

5– राजस्थान राजस्व जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर।

6– श्री भंवरलाल पुत्र प्यारचन्द खटीक निवासी गंगापुर।

7– श्री ताराचन्द पुत्र प्यारचन्द खटीक निवासी गंगापुर।

8– मु0 कमली पुत्री प्यारचन्द खटीक निवासी गंगापुर।

9– अध्यक्ष, नगरपालिका, गंगागपुर जिला भीलवाड़ा।

10– अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

---- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री राजेन्द्रसिंह बराड़, अधिवक्ता अपीलांट।

(2) श्री मदनलाल गुर्जर अधिवक्ता रेस्पो0।

(3) श्री शंकरलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0

अपील/डिक्री/टीए/4957/2005/भीलवाड़ा

मु0 लाली बनाम परथु

(4) श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता सं0 6 से 8

निर्णय **दिनांक :– 01.10.2021**

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील सं0 397/2002 बउनवानी मु0 लाली बनाम परथु में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर (भीलवाड़ा) के समक्ष वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिस विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की एवं प्रतिवादी सं0 5 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 2 (3) सपठित धारा 208 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 16–9–1992 से वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट मु0 लाली ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो विद्वान अपीलीय न्यायालय ने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 6–7–2005 से अपील अपीलांट बेरून मियाद होने के कारण खारिज कर दी गई जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 6–7–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्ता की अपील मियाद बाहर मानकर भारी गलती की है जबकि अपीलकर्ता को उनके पति श्री प्यारचन्द के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी एवं जिनका स्वर्गवास वाद विचाराधीन होते हुए हो

गया तथा वह एक अनपढ़ अबला होने के नाते उसे वाद में पारित डिक्री के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलकर्ता के पति श्री प्यारचन्द जिनका वाद के दौरान स्वर्गवास हो गया तथा उनके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिये जाने के कारण एक मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया था, जो शून्य था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि स्व0 प्यारचन्द जो अपीलकर्ता के पति थे कि विधिवत् रूप से वाद के संबंध में सम्मन नोटिस की तामील नहीं की गई थी और न नोटिस के साथ वाद एवं प्रार्थना पत्र की नकल ही दी गई थी। ऐसी स्थिति में प्यारचन्द के विरूद्ध सही तामील नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध जो एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी वह त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्यारचन्द के स्वर्गवास के बाद उसके परिवार एवं उनके बच्चें प्रोफार्मा रेस्पो0 सं0 6 से 8 नाबालिग थे जिन्हें न तो अपील में और न ही वाद में पक्षकार बनाया गया था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा जो वाद डिक्री किया गया था उसमें न तो कोई विवाद बिन्दु ही निर्धारित किये और न अन्य रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई थी उनका निस्तारण किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गुणावगुण पर जो धारा 175 राजस्थान काश्तकाकरी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया गया था, वह विवाद बिन्दु निर्धारित किये बिना तथा बिना साक्ष्य लिये निर्णित कर दिया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद जो परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, उस समय मियाद की अवधि तीन वर्ष की थी जिस समयावधि में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में जो वाद प्रस्तुत किया गया वह बेरून मियाद था तथा इस आधार पर ही पोषणीय नहीं होने के आधार पर मियाद के बिन्दु पर जो वाद की जड़ तक जाता था किन्तु परीक्षण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही होते हुए उस पर ध्यान न देकर दावा त्रुटिपूर्ण डिक्री कर दिया। अन्त में अपील अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर रेस्पो0 सं0 5 द्वारा जो वाद अपीलार्थी के पूर्वज व अन्य के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया, को निरस्त फरमाया जावें। उन्होनें अपने कथन के समर्थन में 1998 आर0आर0डी0 पेज 511, 1981 आर0आर0डी0 पेज 624, 2011

अपील/डिक्री/टीए/4957/2005/भीलवाड़ा

मु0 लाली बनाम परथु

आर0आर0टी0 पेज 117, 1987 आर0आर0डी0 पेज 519 एवं 1988 आर0आर0डी0 पेज 577 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

5- प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने योग्य अधिवक्ता अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से भी अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

6- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7- विद्वान उप खण्ड अधिकारी गंगापुर ने दिनांक 16-9-1992 को निर्णय पारित किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाता है व ग्राम सहाड़ा स्थित प्रतिवादी नं0 1 से 3 के खाते दर्ज आराजी नं0 135/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा में से खातेदारान के द्वारा विक्रय की गई भूमि रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से जारीशुदा पट्टा विलेख की भूमि 80x80x80x80 फीट यानि 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि कम कर 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि व आराजी नं0 133/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा में से विक्रय की गई 5 बिस्वा भूमि बिला नाम सरकार दर्ज की जाकर इन भूमियेां से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी दिनांक 6-7-2005 को निर्णय पारित किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील बेरून मियाद होने के कारण काबिल खारिज है। अतः अपील अपीलांट बेरून मियाद होने के कारण खारिज की जाती है।

8- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 16-9-1992 को निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्व दिनांक 29-10-2002 को न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया कि अदालत मातहत के निर्णय व आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25-10-2002 को हुई और जानकारी होते ही नकल निर्णय व डिक्री हेतु नकल लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक

अपील/डिक्री/टीए/4957/2005/भीलवाड़ा

मु0 लाली बनाम परथु

25–10–2002 को प्राप्त हुई। अतः दिनांक 16–9–1992 से दिनांक 26–10–2002 तक का समय मुजरा दिलाया जाकर अपील को मियाद शुमार फरमाई जावें।

9– प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा विलम्ब को क्षमा करने के लिए केवल यह लिखा गया है कि अदालत मातहत के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–10–2002 को हुई। अपीलांट को किस प्रकार जानकारी मिली तथा पहले क्यों जानकारी नहीं हुई। इसका कोई स्पष्ट व संतोषप्रद कारण नहीं लिखा है। अपील पूरे 10 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 में 10 वर्ष जैसी लम्बी अवधि के लिए हुई देरी का संतोषजनक तथा समुचित कारण अंकित नहीं किया जाना आवश्यक था जो कि अपीलांट द्वारा नहीं किया गया। केवल मात्र यह लिख देने से कि दिनांक 16–9–1992 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–10–2002 को हुई देरी को माफ नहीं किया जा सकता है।

10– विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को बेरून मियाद विधिसंगत खारिज किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं वे हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

11– उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6–7–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–9–1992 बदस्तुर बहाल रखें जाते हैं।

12– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य